

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग


कमांक: एफ 1(4) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/2022/ जयपुर, दिनांक 02.12.2022
13483-508

अधिसूचना

वर्षा की कमी, सतही जल और भू जल उपलब्धता में कमी, फसलों की कमजोर स्थिति एवं रिमोट सैन्सिंग से प्राप्त सूचनाओं आदि को ध्यान में रखते हुए खरीफ फसल सम्वत् 2079 में सूखे के कारण अभाव से प्रभावित क्षेत्रों का सूखा प्रबन्ध संहिता 2016 के आधार पर आंकलन कर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सर्पेशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के 01 जिले के आगे अंकित तहसील को गम्भीर सूखाग्रस्त (Severe drought affected) घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान निम्न लिखित तहसीलो के सूखाग्रस्त ग्रामों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 06 माह तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	जिला	खराबा वाली तहसीलो की संख्या	गम्भीर सूखाग्रस्त तहसील का नाम
1	पाली	1	1. पाली

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पी.सी.किशन)
शासन सचिव

-----लगातार-----

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जन स्वा. अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन, विभाग जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, पशु पालन विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
14. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
15. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
16. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
17. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
18. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
19. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर, राज
20. जिला कलक्टर, पाली, राजस्थान।
21. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
22. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
23. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
24. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
25. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।
26. प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप शासन सचिव